उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सेवायें) अनुभाग-4 (अधि0)
संख्या- 4/2023 /एस0ई0-4-167 /दस-2023-ई0-04/95
लखनऊ : दिनांक : 29 मार्च, 2023

कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि नीचे तालिका में उल्लिखित अस्थायी पदों, जो स्तम्भ-5 में अंकित कार्यालय-ज्ञाप द्वारा सृजित किये गये थे तथा जिनकी निरन्तरता अंतिम बार कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2022-एस0ई0-4-584/दस-2022-ई0-04/95, दिनांक 26 जुलाई, 2022 द्वारा दिनांक 01 मार्च, 2022 से 28 फरवरी, 2023 तक बढाई गई थी, का कार्यकाल 01 मार्च, 2023 से 29 फरवरी, 2024 तक, यदि इससे पूर्व ही इन्हें बिना सूचना के समाप्त न कर दिया जाये, बढ़ाये जाने की राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

क्र0 सं0	पदनाम	पदों की संख्या	वेतन बैण्ड (रूपये में)	पद सृजन का कार्यालय-ज्ञाप संख्या व दिनांक	सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग-4 का कार्यालय-ज्ञाप जिसमें पद वित्त विभाग को स्थानान्तरित हुए
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	वरिष्ठ अनुसेवक	दो	5200-20200 ग्रेड वेतन 1800 (यथासंशोधित)	सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनु0-4 का कार्यालय-ज्ञाप संख्या-68/बीस-ई-4-1995-132(विविध)/94, दिनांक 10-01-1995	कार्यालय-ज्ञाप संख्या-24/बीस-ई-4-1996-132(विविध)/94, दिनांक 03-01-1996
2	अनुसेवक	दो	5200-20200 ग्रेड वेतन 1800 (यथासंशोधित)	सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनु0-4 का कार्यालय-ज्ञाप संख्या-68(क)/बीस-ई-4-1995-132(विविध)/94, दिनांक 10-01-1995	कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3412/बीस-ई-4-1995, दिनांक 20-07-1995
-	-	कुल चार पद	--	--	--

2- उक्त पदों के पदधारकों को शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अतिरिक्त मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते जो उन्हें अनुमन्य हों, देय होंगे।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-78 लेखाशीर्षक-"2052-सचिवालय सामान्य सेवायें-आयोजनेत्तर-090-सचिवालय-03-सचिवालय" के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

प्रशान्त त्रिवेदी
अपर मुख्य सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-4/2023 /एस0ई0-4-167(1)/दस-2023-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार(लेखा प्रथम), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) वित्त (सेवायें) अनुभाग-4 (लेखा कोष्ठक) दो प्रतियॉ।
(5) सचिवालय प्रशासन(अधिष्ठान) अनुभाग-4
(6) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2
(7) अधिष्ठान सहायक।

आज्ञा से,

राजेश पाण्डेय
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।